सख्या 54 /XXIV(6)/2011

प्रेषक,

वेदीराम,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्,
देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 07 मार्च, 2011

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर् पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 161/29/एफ0सी0–डी0यू0/2011 दिनांक 18,जनवरी–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्यय के **आयोजनेत्तर् पक्ष** में प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष श्री एच0बी0 थपलियाल, विशेष कार्याधिकारी उच्च शिक्षा व अन्य सम्बद्ध कार्मिकों के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध/ अवचनबद्ध मदों आदि के भुगतान के लिए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 01,80,000.00 (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में शासनादेश संख्या : 157/xxiv(6)/2010 दिनांक 09,जून 2010 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, इस धनराशि का विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण उपयोग किए जाने के उपरांत विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार अन्य सम्बद्ध कार्मिकों के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों आदि के भुगतान के लिए द्वितीय किश्त के रूप में **रूपये 01,20,000.00 (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि अनुदान के रूप में कतिपय निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त मांग के समय औचित्य स्पष्ट करते हुए अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के समान ही मदवार फॉट शासन से अनुमोदित करायी जानी होगी । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि व्यय नहीं की जायेगी । व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा । कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– स्वीकृत की गयी धनराशि उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी ।

4— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

5— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—आयोजनेत्तर—05—दून विश्वविद्यालय—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 477 (NP)/XXVII(3)/ 2010 दिनॉक 03, मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(वेदीराम)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या : ५५/XXIV(6)/2011 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन ।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।